वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम– प्रसव पूर्व लिंग जाँच (दुरूपयोग निवारण अधिनियम) (PNDT)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– District level orientation of Stakeholders

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या– A.7.2.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ एक तथ्य जो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है वह है लड़के के जन्म को विशेष प्राथमिकता देना एवं बच्चियों की संख्या में निरंतर आती गिरावट । जैसा कि आप अवगत है, बिहार राज्य में महिला लिंग अनुपात 919 (सेंसस 2001) से 916 (सेंसस 2011) हो गया है एवं कन्या लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष) जो 942 (सेंसस 2001) था वह 933 (सेंसस 2011) हो गया है । यह अत्यंत चिन्तनीय विषय है ।

2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 28 जिलों में बाल लिंगानुपात 900–950 का है । अधिकांश जिलों में बाल लिंगानुपात में गिरावट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली इकाईयों के लिये गंभीर चुनौती का विषय है। अतः इस वर्ष इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ किया जाना अति आवश्यक है । महिलाओं में साक्षरता, रोजगार की गारंटी, विवाह हेतु उचित आयू, पहले बच्चे के समय माता की आयू, महिलाओं के प्रजनन दर आदि भी ऐसे कारण हैं जिनके प्रति एक जागरूक पहल की आवश्यकता है ।

विज्ञान में होने वाली प्रगति एवं अल्ट्रासाउंड की वर्तमान तकनीक में आता हुआ निरंतर विकास भी लिंगानुपात में आती गिरावट के लिए जिम्मेवार है । इस विषय का बहुत गंभीरता से निराकरण करने की आवश्यकता है । स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के रूप में जहाँ एक ओर हमें सामाजिक स्तर पर लड़के एवं लड़की में विभेद करने के विरूद्ध जागरूकता लानी है वहीं अपने तंत्र को भी सशक्त बनाते हुए पी0सी0 एवं पी0एन0डी0टी0 संबंधित कानून को सख्ती से लागू करने की व्यवस्था भी करनी है ।

इकाई राशि (रू० में)– 15000/– रूपये प्रति जिला (50 प्रतिभागी)

कार्यशाला हेतु आवंटित राशि की विवरणी

क्रम सं0	कार्यशाला में व्यय होने वाले मद	इकाई राशि (रू0 में)
1.	Venue Hiring	3000
2.	Lunch	150
3.	प्रतिभागियों के लिये फोल्डर, पेन, नोटपैड इत्यादि	70
4.	मिशलेनियस	1000

वित्तीय दिशा निर्देश : पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 एक्ट को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में चिकित्सा पदाधिकारी, वैसे विभागों एवं गैर–सरकारी संस्थानों के पदाधिकारियों जो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोगी हों, मीडिया, अधिनियम एवं न्यायिक पदाधिकारियों इत्यादि के उन्मुखीकरण हेतु लगभग 50 प्रतिभागियों की एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना है । जिसमें उपरोक्त सारणी के अनुसार राशि व्यय किया जाना है ।

इस संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या एवं तिथि :

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम– **डॉ०** टी0 वी0 सी0पी0,सिन्हा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर–

वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम– **प्रसव पूर्व लिंग जाँच (दुरूपयोग निवारण अधिनियम) (PNDT)**

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– Monitoring visits by district monitoring team

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या– A.7.2.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ एक तथ्य जो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है वह है लड़के के जन्म को विशेष प्राथमिकता देना एवं बच्चियों की संख्या में निरंतर आती गिरावट । जैसा कि आप अवगत है, बिहार राज्य में महिला लिंग अनुपात 919 (सेंसस 2001) से 916 (सेंसस 2011) हो गया है एवं कन्या लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष) जो 942 (सेंसस 2001) था वह 933 (सेंसस 2011) हो गया है । यह अत्यंत चिन्तनीय विषय है ।

विज्ञान में होने वाली प्रगति एवं अल्ट्रासाउंड की वर्तमान तकनीक में आता हुआ निरंतर विकास भी लिंगानुपात में आती गिरावट के लिए जिम्मेवार है । इस विषय का बहुत गंभीरता से निराकरण करने की आवश्यकता है । स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के रूप में जहाँ एक ओर हमें सामाजिक स्तर पर लड़के एवं लड़की में विभेद करने के विरूद्ध जागरूकता लानी है वहीं अपने तंत्र को भी सशक्त बनाते हुए पी0सी0 एवं पी0एन0डी0टी0 संबंधित कानून को सख्ती से लागू करने की व्यवस्था भी करनी है ।

वित्तीय दिशा निर्देश

जिला अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण टीम के द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्य : पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 एक्ट को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु जिला समुचित प्राधिकार की अध्यक्षता में चार सदस्यों की टीम गठित कर जिसमें स्थानीय स्तर पर पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 क्षेत्र में कार्य करने वाला कुशल स्वंयसेवी संस्था, संबंधित जिलों के अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाना है । साथ ही पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 एक्ट का पूर्ण रूप से पालन नहीं करने वाले अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के विरूद्ध नियमानुसार कानुनी कार्रवाई की जानी है । प्रत्येक जिले के टीम के द्वारा वर्ष में 4 पर्यवेक्षण किया जाना है एवं प्रति पर्यवेक्षण 4000/– रूपये के दर से 4 पर्यवेक्षण हेतु 16000/– रूपये प्रति जिला उपलब्ध कराया जा रहा है । अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मासिक कार्ययोजना वर्ष के प्रारंभ में बना ली जायेगी तथा प्रत्येक पर्यवेक्षण/अनुश्रवण के उपरांत पर्यवेक्षण/अनुश्रवण संबंधित प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को प्रेषित करना अनिवार्य होगा ।

इकाई राशि (रू० में)– 4000/– रूपये प्रति पर्यवेक्षण

इस संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या एवं तिथि :

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम– **डॉ०** टी0 वी0 सी0पी0,सिन्हा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर–

वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम– प्रसव पूर्व लिंग जाँच (दुरूपयोग निवारण अधिनियम) (PNDT)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– District level gender sensitisation of block officials

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या– A.7.2.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ एक तथ्य जो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है वह है लड़के के जन्म को विशेष प्राथमिकता देना एवं बच्चियों की संख्या में निरंतर आती गिरावट । जैसा कि आप अवगत है, बिहार राज्य में महिला लिंग अनुपात 919 (सेंसस 2001) से 916 (सेंसस 2011) हो गया है एवं कन्या लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष) जो 942 (सेंसस 2001) था वह 933 (सेंसस 2011) हो गया है । यह अत्यंत चिन्तनीय विषय है ।

विज्ञान में होने वाली प्रगति एवं अल्ट्रासाउंड की वर्तमान तकनीक में आता हुआ निरंतर विकास भी लिंगानुपात में आती गिरावट के लिए जिम्मेवार है । इस विषय का बहुत गंभीरता से निराकरण करने की आवश्यकता है । स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के रूप में जहाँ एक ओर हमें सामाजिक स्तर पर लड़के एवं लड़की में विभेद करने के विरूद्ध जागरूकता लानी है वहीं अपने तंत्र को भी सशक्त बनाते हुए पी0सी0 एवं पी0एन0डी0टी0 संबंधित कानून को सख्ती से लागू करने की व्यवस्था भी करनी है ।

वित्तीय दिशा निर्देश

जिला स्तरीय लिंग संवेदीकरण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन : पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 एक्ट को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु जिले में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं बी0एच0एम0 का लिंग संवेदीकरण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया जाना है । प्रत्येक जिला से 2 Resource Person उक्त कार्यशाला में भाग लेकर प्रतिभागियों को संवेदीकरण करेंगे ।

जिला स्तरीय कार्यशाला हेतु आवंटित राशि की विवरणी

क्रम सं0	कार्यशाला में व्यय होने वाले मद	इकाई राशि (रू0 में)
1.	Venue and Logistics	3000 रू0 प्रति जिला
2.	Lunch	150/– रू0 प्रति प्रतिभागी
3.	प्रतिभागियों के लिये फोल्डर, पेन, नोटपैड इत्यादि	50/– रू0 प्रति प्रतिभागी
4.	मिशलेनियस	1000/– प्रति जिला
5.	Incentive for Resource Person	500/– प्रति व्यक्ति

इस संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या एवं तिथि :

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम– **डॉ०** टी0 वी0 सी0पी0,सिन्हा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर–

वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम– प्रसव पूर्व लिंग जाँच (दुरूपयोग निवारण अधिनियम) (PNDT)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– Block level gender sensitisation of ANM/LHV/Paramedical staff

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या– A.7.2.6

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ एक तथ्य जो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है वह है लड़के के जन्म को विशेष प्राथमिकता देना एवं बच्चियों की संख्या में निरंतर आती गिरावट । जैसा कि आप अवगत है, बिहार राज्य में महिला लिंग अनुपात 919 (सेंसस 2001) से 916 (सेंसस 2011) हो गया है एवं कन्या लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष) जो 942 (सेंसस 2001) था वह 935 (सेंसस 2011) हो गया है । यह अत्यंत चिन्तनीय विषय है ।

विज्ञान में होने वाली प्रगति एवं अल्ट्रासाउंड की वर्तमान तकनीक में आता हुआ निरंतर विकास भी लिंगानुपात में आती गिरावट के लिए जिम्मेवार है । इस विषय का बहुत गंभीरता से निराकरण करने की आवश्यकता है । स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के रूप में जहाँ एक ओर हमें सामाजिक स्तर पर लड़के एवं लड़की में विभेद करने के विरूद्ध जागरूकता लानी है वहीं अपने तंत्र को भी सशक्त बनाते हुए पी0सी0 एवं पी0एन0डी0टी0 संबंधित कानून को सख्ती से लागू करने की व्यवस्था भी करनी है ।

वित्तीय दिशा निर्देश

प्रखण्ड स्तरीय लिंग संवेदीकरण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन : वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यशाला हेतु राशि अनुमोदित नहीं है परंतु विगत वर्ष में जिलों के द्वारा आयोजित किये गये कार्यशाला के विरूद्ध Committed राशि की माँग कुछ जिलों के द्वारा की गयी थी जो उक्त एफ0एम0आर0 कोड में उपलब्ध करायी जा रही है । नियमानुसार Committed राशि का शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करेंगे ।

इस संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या एवं तिथि :

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम– **डॉ०** टी0 वी0 सी0पी0,सिन्हा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर–9470003022